संख्या–सं० -88(1)/xxiv–4/2011–5(1)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 26 अप्रैल, 2011

विषय– संस्कृत विद्यालयों की मान्यता एवं परीक्षाओं के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद **की स्थापना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1520/परीक्षा परिषद/2010–11, दिनांक 30 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की सूचिता, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना किए जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेगें:–

(1) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक संस्कृत विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया जाना।

(2) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक की परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन।

(3) प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक की कक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

(4) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत आचार्यो/प्राचार्यो को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।

(5) संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यार्थियों के सामयिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने से सम्बन्धित कार्य करना।

3. निदेशक, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग इस परिषद के पदेन सभापति होंगे। परिषद का स्वरूप निम्नवत् है:–

क0सं0	पद नाम	वेतनमान (रूपये में)	पदों की सं0
	सभापति	निदेशक, संस्कृत शिक्षा–पदेन	–
1.	सचिव–1	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01
2.	उप सचिव	15600–39100 ग्रेड पे–5400	01
3.	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर	आउटसोर्सिंग	05
4.	चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग	02
	योग–		09

...2

D:\Desktop\SPSOGL.doc

4. परीक्षा से सम्बन्धित सीजनल कार्य के लिए अतिरिक्त लेबर की व्यवस्था उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ठेके पर करायी जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा विकास–103–संस्कृत शिक्षा–08–उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–06(P)XXVII(3)/2011–12,दिनांक 21 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-सं०-३४(1)/xxiv–4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, संस्कृत शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. प्रभारी, मीडिया, सचिवालय परिसर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।